

असाधारण

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

la- 116]	ubZ fnYyh] eaxyokj] ekpZ 28] 2017@pS=k 7] 1939
No. 116]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2017/CHAITRA 7, 1939

डा०. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

अधिसूचना

lkxj] 23 tuojh] 2017

la- vkj@2017@5@217.— निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है

:—

09/04/2011 से प्रभावी

प्रथम अध्यादेश

v/;kns'k&11प्रोफेसर, एसोसिएट-प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया/मानक[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियमों के परिनियम 18(4) के अधीन]

- 1-विश्वविद्यालय शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु कम से कम 45 दिन का समय देते हुये अखिल भारतीय स्तर पर प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करेगा तथा परिनियम 18(2) के अनुसार गठित चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर vf[ky Hkkjrh; Lrj ij fu;qfDr;kj djsxkA
- 2-श्रेष्ठतम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए, विश्वविद्यालय रोलिंग विज्ञापन (rolling advertisements) जारी कर सकता है, ताकि सुयोग्य अभ्यर्थी वर्ष पर्यन्त विभिन्न शैक्षणिक पदों हेतु अपने आवेदन पत्र जमा कर सकें।
- 3-चयन समिति के अध्यक्ष एवं संयोजक उसके प्रत्येक सदस्य को बैठक के कम से कम 10 दिन पहले बैठक का समय एवं स्थान सूचित करते हुए एक नोटिस भेजेंगे। चयन समिति की बैठक का निर्धारण कुलाध्यक्ष नामिति एवं कार्यपरिषद् द्वारा नामित विशेषज्ञों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये उनसे पूर्व-परामर्श के बाद किया जाएगा।
- 4-चयन समिति के अध्यक्ष एवं संयोजक को बैठक में वोट देने तथा बराबर की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
- 5-चयन समिति की संस्तुतियाँ कार्यपरिषद् को सौंप दी जायेंगी तथा परिनियम 12 (2) (ii) के अनुसार नियुक्ति के आदेश कार्यपरिषद् के अनुमोदन के पश्चात् जारी किये जायेंगे।
- 6-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता सम्बन्धी नियमों एवं शर्तों तथा समय-समय पर निर्धारित (यू. जी.सी. द्वारा) अन्य नियमों एवं शर्तों का भी पालन किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त कुलपति (सम्बन्धित अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष के परामर्श से) भरे जाने वाले पद हेतु आवश्यक विशेषज्ञता अथवा अन्य किसी शर्त की सिफारिश विद्या परिषद् को कर सकते हैं।

- 7-निर्धारित योग्यता एवं अनुभव न्यूनतम अर्हता होगी और अभ्यर्थी न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव रखता है, केवल इस तथ्य से वह साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जाने का हकदार नहीं होगा/होगी।
- 8-विश्वविद्यालय को विनियमों के अधीन इस उद्देश्य हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित न्यूनतम अर्हता व अनुभव से अधिक अर्हता या अन्य कोई शर्त जिसे वह उचित समझता हो, उपयुक्त संख्या तक साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने का अधिकार होगा।
- 9-कार्यपरिषद को परिनियम 19(1) के अनुसार आवेदन न करने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को नियुक्ति प्रस्ताव देने का अधिकार होगा।
- 10-विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-7 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा।
- 11-चयन प्रक्रिया, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता सम्बन्धी विनियमों एवं उच्चतर शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के उपाय-2010 तथा समय-समय पर किये गए संशोधनों के अनुसार होगी।
- 12-एक ही तिथि पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के चयन की स्थिति में सेवा में वरिष्ठता के निर्धारण के उद्देश्य से संस्तुतियाँ सदैव चयनित अभ्यर्थियों के योग्यता क्रम के आधार पर की जायेंगी।
- 13-भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं से जुड़ी हुई शर्त के साथ कोई संस्तुति नहीं की जानी चाहिये।
- 14-प्रोफेसर या एसोसिएट-प्रोफेसर के पद हेतु किसी अभ्यर्थी पर विचार करने के पश्चात, यदि चयन समिति का यह अभिमत है कि अभ्यर्थी उससे ठीक निचले पद हेतु सुयोग्य है तो वह इसकी संस्तुति कर सकती है।
- 15-अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांग (पी डब्ल्यू डी) श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये आयु, न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव आदि में छूट का सांविधिक प्रावधान उन पर लागू किया जायेगा।
- 16-यदि अभ्यर्थी के नियुक्ति की संस्तुति चयन समिति द्वारा अर्हता, आयु, अनुभव आदि से सम्बन्धित निर्धारित शर्तों में से किसी में छूट देते हुए की गयी है, तो उसे उसी रूप में उल्लिखित एवं लिपिबद्ध किया जायेगा।
- 17-यदि चयन समिति को किसी चयनित अभ्यर्थी को उच्चतर प्रारंभिक वेतन अथवा अग्रिम वेतन वृद्धियों की संस्तुति किया जाना उपयुक्त लगता है, तो वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरिलिखित विनियमों के अनुसार होगी।
- 18-विज्ञापित पदों की संख्या अनंतिम मानी जा सकती है। विश्वविद्यालय को चयन के समय पदों की संख्या को बढ़ाने/घटाने एवं तदनुसार नियुक्तियाँ करने का अधिकार होगा।
- 19-सेवारत अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए।
- 20-साक्षात्कार हेतु बाहर से आमंत्रित किये गए अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को रेल के द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का आवागमन का किराया यात्रा व्यय की मद में टिकट/प्रमाण प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जायेगा। 21-किसी अभ्यर्थी की ओर से किसी रूप में अनुयाचन ऐसे अभ्यर्थी को अयोग्य कर देगी।
- 22-अध्यक्ष-संयोजक को किसी ऐसे मामले में, जिसका उल्लेख अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश में नहीं है, उसकी प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार होगा।
- 23-कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित होने पर चयन समिति की संस्तुतियाँ ऐसे अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक वैध रहेंगी।
- 24-आवेदन पत्रों का विक्रय एवं पंजीकरण शुल्क का संग्रहण विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के आधार पर किया जायेगा। अजा/अजजा/दिव्यांग (पी डब्ल्यू डी) अभ्यर्थियों के लिए

पंजीकरण शुल्क देय नहीं होगा। 25-विश्वविद्यालय के विरुद्ध किसी विवाद, वाद या कानूनी कार्रवाई की स्थिति में अधिकारिता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर तक सीमित होगी।

MkW- fuosfnrk eS=k] dqylfpo

[foKkiu&III@4@vIk-@488@16]

DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(A Central University)

NOTIFICATION

Sagar, the 23rd January, 2017

No. R/2017/ 5/217.—The following is published for general information :—

Effective from 09/04/2011

First Ordinance

ORDINANCE-11

**PROCEDURE/NORMS FOR APPOINTMENT TO THE POSTS OF PROFESSOR,
ASSOCIATE PROFESSOR AND ASSISTANT PROFESSOR**

[Under Statute 18 (4) of the Statutes of the Central Universities Act, 2009]

¹भाग IIIखण्ड 4ह

भारत का राजपत्रा: असाधारण

3

- 1.The University will issue all-India advertisement for recruitment to the teaching posts in leading national dailies giving at least 45 days time and make appointments there-to on all India basis on the recommendations of the Selection Committee as constituted in Statute 18(2).
- 2.In order to attract best talent, the University may make rolling advertisements whereby eligible candidates can submit their applications for different faculty positions throughout the year.
- 3.The Chairman-Convener shall issue to each member of the Selection Committee a Notice, not less than ten days before the meeting, stating the time and venue of the meeting. Meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Visitor's nominee and of the experts nominated by the Executive Council.
- 4.The Chairman-Convener shall be entitled to vote at the Selection Committee meeting and shall have a casting vote in the case of a tie.
- 5.The recommendations of the Selection Committee shall be submitted to the Executive Council and orders of appointment shall be issued after the approval of the Executive Council in accordance with Statute 12(2) (ii).
- 6.The terms and conditions with regard to the minimum qualifications and other terms and conditions as prescribed by the UGC from time to time, shall be followed.

In addition to the above, the Vice-Chancellor may recommend, (in consultation with the concerned कमंड ंदक भंक व िजीम कमचंतजउमदजद्ध जव जीम ।बंकमउपब ब्वनदबपस ेनबी ेचमबपंसप्रजपवद वत ंदल वजीमत condition as required for the post to be filled up.

- 7.The prescribed qualification and experience will be minimum, and the mere fact that a candidate possessing the same will not entitle him / her for being called for interview.
- 8.The University will have the right to restrict the number of candidates to be called for interview, based on the recommendations of the Screening Committee constituted as per the Regulations for this purpose, to a reasonable number on the basis of qualifications and experience higher than the minimum prescribed or by any other condition that it may deem fit.
- 9.It would be open to the Executive Council to offer appointment to suitable persons who may not have applied in accordance with Statute 19(1).
- 10.The rules and procedures prescribed by the Govt. of India in respect of the Reserved categories shall be followed as provided in Section 7 of the University Act.

11. The Selection procedure shall be as laid down by the UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic staff in Universities and Colleges and Measures for Maintenance of Standards in Higher Education – 2010 and as amended from time to time.
12. If case of selection of two or more persons on the same date, the recommendations shall invariably be made in order of merit of the selected candidates for the purpose of determining seniority in service.
13. No recommendations should be made with a condition attached to the occurrence of the future events.
14. The Selection Committee, after considering a candidate for the post of Professor or Associate Professor, may, if it is of the opinion that he or she will be suitable choice for the next lower post, can make such recommendation.
15. The statutory provision for relaxing of age, minimum qualification, experience etc. prescribed in case of the candidates belonging to SC/ST/OBC/PH categories will be made applicable to them.
16. If any candidate is recommended by the Selection Committee for appointment in relaxation of any of the prescribed conditions relating to qualifications, age, experience etc., it shall be so stated and recorded.
17. When the Selection Committee considers it fit to recommend a higher initial pay or advance increments to be offered to a selected candidate, it shall be as per the UGC Regulation referred to above.
18. Number of posts advertised may be treated as tentative. The University shall have the right to increase/decrease the number of posts at the time of selection and make appointments accordingly.
19. The in-service candidates should apply through Proper Channel.

4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

20. Outstation candidates belonging to SC/ST categories called for interview will be paid to and from 2nd AC railway fare towards journey expenses on production of tickets/proof.
21. Canvassing in any form on behalf of any candidate will disqualify such candidate.
22. The Chairman-Convener shall have the power to lay-down the procedure in respect of any matter not mentioned in the Act/Statute/Ordinance.
23. The Selection Committee's recommendations, when approved by the Executive Council, shall remain valid for a period of one year from the date of such approval.
24. The application forms will be sold and registration fee collected at the rates prescribed by the University from time to time. The SC/ST/Physically Challenged candidates need not pay Registration Fee.
25. In case of any dispute, suite or legal proceedings against the University, the jurisdiction shall be restricted to the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.

Dr. NIVEDITA MAITRA, Registrar

[ADVT. III/4/Exty./488/16]

अधिसूचना

[23.04.2017]

1a- vkj@2017@5@217.— निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

09/04/2011 से प्रभावी

प्रथम अध्यादेश

v/;kns'k&14

शिक्षकों की सेवा-शर्तें

[अधिनियम की धारा 28 (1)(ण) एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियमों के परिनियम 22 (1) के v/khu]

विश्वविद्यालय के शिक्षकों से अभिप्राय प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें विश्वविद्यालय में अनुदेश देने या शोध संचालित करने या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी महाविद्यालय या संस्था में नियुक्त किया गया है और जिन्हें अध्यादेशों के द्वारा शिक्षकों के पदनाम से अभिहित किया गया है।

- 1- शिक्षक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक कर्मचारी होने के नाते विश्वविद्यालय का पूर्ण- कालिक वेतन भोगी कर्मचारी होगा और अपना पूरा समय विश्वविद्यालय को प्रदान करेगा इसमें मानद, अभ्यागत, अंशकालिक तथा तदर्थ शिक्षक शामिल नहीं gSA

परन्तु यह कि इस अध्यादेश की कोई भी बात विश्वविद्यालयों की परीक्षा या विद्वत समितियों या लोक सेवा आयोगों या किसी साहित्यिक कार्य या प्रकाशन या रेडियो/दूरदर्शन वार्ता या प्रसार व्याख्यानों या कुलपति की अनुमति से अन्य किसी अकादमिक कार्य से सम्बन्धित कार्यों पर लागू नहीं होगी।

विश्वविद्यालय का कोई पूर्णकालिक वेतनभोगी शिक्षक कार्यपरिषद की अनुमति के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यापार या व्यवसाय जैसा भी हो या किसी निजी ट्यूशन या किसी ऐसे अन्य कार्य में शामिल नहीं होगा जिससे कोई पारिश्रमिक या मानदेय मिलता हो। फिर भी शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं विश्वविद्यालय के पूर्व अनुमोदन से परामर्श कार्य में शामिल हो सकते हैं।

2-कर्तव्यों की प्रकृति

प्रत्येक शिक्षक आवश्यकतानुरूप एवं वर्तमान में लागू अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय की ऐसी गतिविधियों में भाग लेगा एवं विश्वविद्यालय में ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा चाहे उसका सम्बन्ध शिक्षण के आयोजन, शोध, प्रसार, छात्रों की परीक्षाओं, उनके अनुशासन, कल्याण से हो और सामान्यतः विश्वविद्यालय के अधिकारियों के दिशानिर्देशन में कार्य करने से हो।

¹भाग IIIखण्ड 4ह

भारत का राजपत्रा: असाधारण

5

3-परिवीक्षा अवधि एवं स्थायीकरण

परिवीक्षा अवधि न्यूनतम एक वर्ष की होगी, जिसे असंतोषजनक कर्तव्यपालन की स्थिति में एक और वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

परन्तु यह कि कार्य परिषद अभिलिखित कारणों से परिवीक्षा की शर्त का अधित्याग कर सकती है। परन्तु यह भी कि परिनियम 19(1) के तहत कार्य परिषद द्वारा नियुक्त शिक्षकों के मामले में परिवीक्षा की शर्त लागू नहीं होगी।

एक वर्ष के उपरान्त स्थायीकरण स्वतः हो जायेगा जब तक कि विशिष्ट आदेश द्वारा प्रथम वर्ष की समाप्ति के पूर्व एक और वर्ष के लिए बढ़ाया न गया हो।

केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिवीक्षा एवं स्थायीकरण नियम केवल नियुक्ति के प्रारम्भिक चरण पर लागू होंगे।

परिवीक्षा एवं स्थायीकरण पर केन्द्र सरकार के अन्य सभी नियम यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

4-LFkk;hdj.k%

यह कुलसचिव का कर्तव्य होगा कि वह परिवीक्षा पर सेवारत शिक्षक के स्थायीकरण का मामला परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के कम से कम चालीस दिन पूर्व कार्य परिषद के समक्ष रखे।

तब कार्य परिषद या तो शिक्षक को स्थायी कर सकती है या उसे स्थायी न करने का निर्णय ले सकती है या परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकती है, जो कुल मिलाकर चौबीस महीनों से अधिक न हो।

यदि कार्य परिषद शिक्षक को स्थायी न करने का निर्णय लेती है, तो उसकी चौबीस माह की परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने के पहले या परिवीक्षा की विस्तारित अवधि की समाप्ति के पहले यथा प्रकरण उसे इसकी लिखित सूचना उस अवधि की समाप्ति के कम से कम तीस दिन पहले दी जायेगी यदि कार्य परिषद शिक्षक को स्थायी न करने का निर्णय लेती है।

परन्तु यह कि शिक्षक को स्थायी न करने के निर्णय हेतु कार्य परिषद के उपस्थित एवं मतदान कर रहे सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।

5-*osru&o`f` %*

प्रत्येक शिक्षक अपने वेतनमान में वेतन वृद्धि का हकदार होगा जब तक कि उसे कार्य परिषद के संकल्प द्वारा रोका या स्थगित न किया गया हो तथा शिक्षक को अपना लिखित अभिवेदन प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर न प्रदान किया गया हो।

6- *Isokfuo`fRr dh vk;q %*

परिनियम 25 के प्रावधान के अधीन, विश्वविद्यालय की सेवा में स्थायी हो चुका प्रत्येक शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक उस सेवा में बना रहेगा। परन्तु यह भी कि यदि शिक्षक की अधिवर्षिता की तिथि अकादमिक सत्र के दौरान किसी समय पर पड़ती है तो कुलपति की संस्तुति से कार्य परिषद अकादमिक सत्र की समाप्ति तक किसी समय के लिए, इस दृष्टि से कि विभाग/केन्द्र का शिक्षण कार्य बाधित न हो, शिक्षक को पुनर्नियुक्त कर सकती है।

विशेष मामलों में, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर चुके किसी शिक्षक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी विनियमों को ध्यान में रखकर संविदा पर पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।

7-सेवा निबंधन एवं शर्तों की परिवर्तनीयता

प्रत्येक शिक्षक विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों एवं नियमों के साथ साथ विश्वविद्यालय द्वारा बनायी गयी

o`fRrd lnkp kj lafgrk (code of professional ethics) के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा। परन्तु यह कि, शिक्षक की नियुक्ति के उपरान्त उसके पद, वेतनमान, वेतन वृद्धि, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति के लाभों, सेवानिवृत्ति की आयु, परिवीक्षा, स्थायीकरण, छुट्टी, वैतनिक छुट्टी; एवं सेवा से निष्कासन से सम्बन्धित निबंधन एवं शर्तों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा ताकि उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

8-*o`fRrd vkp kj lafgrk*

विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गयी आचार संहिता से बाध्य होगा एवं विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा निम्नलिखित लोप कदाचार की श्रेणी में आयेंगे:

(i) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कर्तव्यों के निर्वहन में लोप।

(ii) विद्यार्थियों के मूल्यांकन में घोर पक्षपात, जानबूझकर अधिक/कम अंकन या किसी भी आधार पर परिपीड़न का प्रयत्न।

(iii) विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों, सहयोगियों या प्रशासन के विरुद्ध उकसाना (परन्तु शिक्षक का संगोष्ठी अथवा अन्य स्थान पर जहाँ विद्यार्थी उपस्थित हों, अपने सैद्धान्तिक मत वैभिन्य को अभिव्यक्त करने का अधिकार होगा।) अथवा ऐसे अन्य गतिविधियाँ जो विश्वविद्यालय के हितों के विरुद्ध हो।

- (iv) साम्प्रदायिक गतिविधियों में लिप्त होना अथवा जाति, मूल वंश, धर्म, नस्ल या लिंग के आधार पर अपने सहकर्मियों पर अनुचित टिप्पणी करना तथा अपने स्वार्थ के लिए उपरोक्त में से किसी का प्रयोग करना या ऐसी गतिविधि में लिप्त रहना जो विश्वविद्यालय की गरिमा के विरुद्ध हो।
- (v) विश्वविद्यालय के समुचित प्रशासनिक एवं अकादमिक निकायों एवं/या अधिकारियों के द्वारा लिये गये निर्णयों पर
- (vi) किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी में लिप्त रहना जो साहित्यिक चोरी के विधिक अर्थ, व्याख्या और उसकी

9-R;kx i=

एक पूर्णकालिक वेतनभोगी शिक्षक किसी भी समय विश्वविद्यालय को तीन महीने की नोटिस लिखित में देकर या उसके एवज में तीन महीने के वेतन के भुगतान पर विश्वविद्यालय के साथ अपना अनुबंध निरस्त कर सकता है। परिवीक्षार्थियों, संविदात्मक, अस्थायी और तदर्थ शिक्षकों के मामले में नोटिस की अवधि एक माह की होगी या उसके एवज में एक माह के वेतन का भुगतान होगा। परन्तु यह कि कार्य परिषद अपने विवेकानुसार नोटिस की आवश्यकता का अधित्याग कर सकती gSA

10- vuqca/k %

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 33 (1) के अधीन अध्यादेश द्वारा निर्धारित प्रारूप में शिक्षक और विश्वविद्यालय के

11- पुनर्नियोजित पेंशनधारियों के वेतन का निर्धारण:

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों के अनुसार होगा।

12-अध्यापन-दिवस, कार्यभार और अवकाश नियम:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार अध्यापन दिवसों की संख्या, कार्यभार एवं अवकाश के नियम, अधिशासित होंगे।

MkW- fuosfnrk eS=k] dqylfpo

[foKkiu&III@4@vIk-@488@16]

NOTIFICATION

Sagar, the 23rd January, 2017

No. R/2017/ 5/217.—The following is published for general information :—

Effective from 09/04/2011

First Ordinance

ORDINANCE-14

CONDITIONS OF SERVICE OF TEACHERS

[Under Section 28 (1) (o) of the Act and

Statute 22(1) of Statutes of the Central Universities Act, 2009]

Teachers of the University means Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other persons as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in any College or Institution maintained by the University and are designated as teachers by the Ordinances.

1. Teacher to be a whole time employee of the University shall be a whole-time salaried employee of the University and shall devote his/her whole-time to the University and does not include honorary, visiting, part-time and ad-hoc teachers.

Provided that nothing contained in this Ordinance shall apply to the work undertaken in connection with the examination of Universities or learned bodies or Public Service Commissions or to any literary work or publication or radio/television talk or extension lectures or to any other academic work with the permission of the Vice-Chancellor.

No whole-time salaried teacher of the University shall without the permission of the Executive Council engage directly or indirectly in any trade or business whatsoever or any private tuition or other work to which any emolument or honorarium is attached. However, teachers may engage in consultancy work as per UGC guidelines and with prior approval of the University.

2. Nature of Duties:

Every teacher shall undertake to take part in such activities of the University and perform such duties in the University as may be required by and in accordance with the Act, the Statutes and Ordinances framed जीमतम.नदकमतए वित जीम जपउम इमपदह पद वितबमए ूीमजीमत जीम ेउम तमसंजम जव वतहंदप्रंजपवद व िजमंबीपदहए तमेमंतबीए extension, examination of students, their discipline, welfare, and generally to act under the direction of the authorities of the University.

3. Period of Probation and Confirmation:

The minimum period of probation shall be one year extendable by a maximum period of one more year in case of unsatisfactory performance.

Provided that the Executive Council for the reasons recorded, may waive the condition of probation.

Provided further that the condition of probation shall not apply in case of teachers appointed by the Executive Council under the Statute 19 (1).

The confirmation at the end of one year shall be automatic, unless extended for another year by a specific order, before expiry of the first year.

Probation and confirmation rules shall be as applicable only at the initial stage of recruitment, issued from time to time, by Central Government.

All other Central Government rules on probation and confirmation shall be applicable mutatis mutandis.

4. Confirmation:

It shall be the duty of the Registrar to place before the Executive Council the case of Confirmation of a teacher on probation, not later than forty days before the end of the period of probation.

The Executive Council may then either confirm the teacher or decide not to confirm him, or extend the period of probation so as not to exceed twenty-four months in all.

In case the Executive Council decides not to confirm the teacher, whether before the end of twenty-four months' period of his / her probation, or before the end of the extended period of probation, as the case may be, he shall be informed in writing to that effect, not later than thirty days before the expiration of that period.

Provided that the decision not to confirm a teacher shall require a two-third majority of the members of the Executive Council present and voting.

5. Increment:

Every teacher shall be entitled to increment in his/her scale of pay, unless the same is withheld or postponed by a resolution of the Executive Council and after the teacher has been given due opportunity to make his / her written representation.

6. Age of retirement:

Subject to the provision of Statute 25, every teacher confirmed in the service of the University, shall continue in such service until he/she attains the age of superannuation as prescribed by the UGC and Govt. of India from time to time.

Provided further that if the date of Superannuation of a teacher falls at any time during the Academic Session, the Executive Council may on the recommendation of the Vice-Chancellor re-employ the teacher for any period up to the end of the academic session, with a view not to disturb the teaching work of the Department/Centre.

In special cases, a teacher on his/her attaining the age of superannuation, may be re-employed on a contract in keeping with the

regulations in this behalf as issued by the UGC from time to time.

7. Variations in terms and conditions of service:

Every teacher shall be bound to act in conformity with the Statutes, Ordinances, Regulations and rules of the University as well as a code of professional ethics as may be formulated by the University.

Provided that no change in the terms and conditions of service of a teacher shall be made after his / her appointment in regard to designation, scale of pay, increment, provident fund, retirement benefits, age of retirement, probation, confirmation, leave; leave salary and removal from service so as to adversely affect him.

8. Professional Code of Conduct:

Every teacher of the University shall abide by the Code of Conduct framed by the University and the following lapses would constitute misconduct on the part of a University teacher.

- (i) Any lapse in performing his / her duties as assigned by the university from time to time.
- (ii) Gross partiality in assessment of the students, deliberately over marking/under marking or
 ंजमउचजे ंज अपबजपउप्रंजपवद वद ंदल हतवनदकण्
- (iii) Inciting students against other students, colleagues or administration (This does not interfere with the right of a teacher to express his /her difference of opinion on principles in seminars and other places where students are present) or any other such actions which are against the interest of the university.
- (iv) प्दकनसहपदह पद बवउउनदंस ंबजपअपजपमेए वत उंापदह पदंचतवचतपंजम तमउंतो वद
 बिजमए बतममकए तमसपहपवदए race or sex in his/her relationship with his/her colleagues and trying to use the above considerations for improvement of his/her prospects or any other such actions which are against the interest of the university.
- (v) Refusal to carry out the decisions by appropriate administrative and academic bodies and / or functionaries of the University.
- (vi) Indulging in Plagiarism of any sort within the legal meaning, interpretation and expression of the term.

9. Resignation:

A whole-time salaried teacher may, at any time, terminate his / her contract by giving the University three months' notice in writing or on payment to the University of three months salary in lieu thereof. The notice period shall be one month in case of probationers, contractual, temporary and ad-hoc teachers or salary in lieu thereof.

Provided that the Executive Council may waive the requirement of notice at its discretion.

10. Contract:

The written contract between a teacher and the University required to be entered into under Section 33 (1) of Central Universities Act shall be in the form prescribed by the Ordinances.

11. Fixation of pay of re-employed pensioners

As per the Government of India Rules issued from time to time.

12. Teaching Days, Work Load And Leave Rules

The rules and conditions governing number of teaching days, work load and leave rules shall be as prescribed by the UGC and Govt. of India from time to time.

Dr. NIVEDITA MAITRA, Registrar

[ADVT. III/4/Exty./488/16]

KUMAR

by ALOK
KUMAR Date:

